दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शुक्रवार 28 अक्टूबर 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 30

महत्वपूर्ण एवं खास

श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 7 मछुआरों को गिरफ्तार किया

चेन्नई (आरएनएस)। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि श्रीलंकाई नौसेना ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) को कथित रूप से पार करने के आरोप में तमिलनाडु के सात मछुआरों को गिरफ्तार किया है। अधिकारी के अनुसार, रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम के मछुआरों को बुधवार देर रात नदाथीवु क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और उनकी मशीनीकृत नाव भी जब्त कर ली गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद, मछुआरों को श्रीलंका के कांकेसंथुराई बंदरगाह ले जाया गया। रामेश्वरम के मछुआरा संघ ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया है और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से उनकी रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की है।

बीकेयू ने अपने सदस्यों के लिए बनाया ड्रेस कोड

अलीगढ़ (आरएनएस)। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के कार्यकर्ता अब वर्दी पहनेंगे। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपने सदस्यों से कहा है कि वे ड्रेस कोड का पालन करके अपनी पहचान अन्य किसान संगठनों से अलग रखें। यह कदम मुजफ्फरनगर में बीकेयू के दो गुटों के बीच हाल ही में हुए झड़प के बाद उठाया गया है। टिकैत ने कहा कि अगर कोई बीकेयू कार्यकर्ता कभी आधिकारिक बैठक में जाता है, किसी अधिकारी से बात करता है, तो वह हरे रंग का दुपट्टा, बैज और हरी टोपी पहनेगा। बगैर ड्रेस कोड के कोई भी बीकेयू कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड आपको अपनी पहचान बनाए रखने में मदद करेगा। मैं सभी से दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील करता हूं। इस संबंध में सभी सदस्यों को पत्र भेज दिया गया है।

साबुन के पैकेट में की जा रही थी तस्करी, 10 करोड़ की हेरोइन के साथ 4 ड्रग पेडर्लस गिरफ्तार

गुवाहाटी (आरएनएस)। बड़ी खबर असम से प्राप्त हुई है। असम में एक इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, दिलई तिनियाली में नाका चेकिंग की गई। वहीं, दो वाहनों की जांच के दौरान पुलिस ने 100 साबुन के कैस बरामद किए, जिसमें से 1.263 किलो की हेरोइन छिपाए गए थे। इस हेरोइन की आनुमानित कीमत 10 करोड़ रुपये बतायी जा रही है। इस मामले में 4 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है, जो कि कार्बी आंगलोंग जिले से हैं। उनके पास से 75,000 रुपये नकद भी जब्त किया गया है। यह जानकारी एसडीपीओ ने दी।

बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार बुजुर्ग को भेजा जेल

अलवर (आरएनएस)। राजस्थान में अलवर के महिला थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची से छेडछाड के मामले में गिरफ्तार बुजुर्ग को आज जेल भेज दिया। महिला थाना प्रभारी चौथमल ने बताया कि शहर के 63 वर्षीय अनिल अग्रवाल निवासी मालाखेड़ा बाजार अलवर अपने परिचित के घर गया था। वहां उसकी 7 साल की की बेटी को मोपेड पर बैठाकर प्रतापबंध की तरफ ले गया। जहां उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की। शाम चार बजे बालिका को लेकर गया। उसके बाद करीब 6 बजे वापस लेकर आया। पीड़िता के पिता के आने के बाद बेटी से छेड़छेड़ा होने का कुछ आभास हुआ। इसके बाद आरोपी अनिल अग्रवाल के खिलाफ नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कराया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी अनिल अग्रवाल को दो दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता के पिता ने बताया कि अनिल अग्रवाल बेटी को मोपेड पर बिठाकर प्रतापबंध की तरफ ले गया। जिसने बेटी से छेड़छाड़ की। कल उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

विवाद में पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या

हरदोई (आरएनएस)। हरदोई जिले के शहर कोतवाली इलाके में जमीन के विवाद को लेकर पिता-पुत्र की गोली मारकर कथित तौर पर हत्या कर दी गई। परिवार के अन्य तीन सदस्यों को भी लाठी-डंडों से पीट-पीट कर घायल कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बृहस्पतिवार को बताया कि शहर कोतवाली इलाके के भदैचा गांव में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद था। बुधवार को उनमें से एक बाबू सिंह के घर के बाहर कुछ लोग बैठे थे तभी दूसरे पक्ष के गुड्डू सिंह के परिवार का एक सदस्य वहां से निकला जिससे बाबू सिंह पक्ष के लोगों की कुछ कहासुनी हो गई।

डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी में दर्ज हुई वृद्धि : शाह

नई दिल्ली (आरएनएस)। मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय क्षेत्रीय बैठक में केंद्रिय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी में वृद्धि हुई है, जो आतंकवाद के लिए भी जिम्मेदार है। बैठक बुधवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित की गई। शाह ने कहा कि, एक तरफ नशीले पदार्थ युवाओं को दीमक की तरह खा रहे हैं और दूसरी तरफ नशीले पदार्थों के धंधे से आने वाला अवैध पैसा आतंकवाद को बढ़ावा देता है।

उन्होंने कहा कि, युवाओं को सुरक्षित रखने और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को इसे एक आम लड़ाई के रूप में लडऩा है और जीतना है।

शाह ने कहा कि, पश्चिमी राज्यों में मादक पदार्थों की तस्करी के प्रमुख मुद्दों में पश्चिमी तट से हेरोइन की बढ़ती समुद्री तस्करी, अफीम, गांजा और पोस्त जैसे नशीले पदार्थों की अवैध खेती, नशीली दवाओं की तस्करी में कोरियर और पार्सल का उपयोग, डार्कनेट और नशीली दवाओं में वृद्धि शामिल है।

शाह ने कहा कि, हाल के मामलों की जांच के दौरान पश्चिमी राज्यों में मादक पदार्थों की तस्करी में नए रुझान सामने आए हैं और इन नए रुझानों से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

गृह मंत्री ने कहा कि, देश के पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव में एक विशाल समुद्र तट शामिल है, जो राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं।

शाह ने कहा कि, समुद्री मार्ग से दक्षिण मध्य एशियाई हेरोइन की तस्करी में वृद्धि हुई है साथ ही भारत-पाक सीमा के माध्यम से हेरोइन तस्करी के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं।

नशीली दवाओं की तस्करी के मामलों का विवरण साझा करते हुए, गृह मंत्री ने कहा कि, 2006 से 2013 तक, कुल 1,257 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2014 से 2022 तक, 3,172 मामले दर्ज किए गए, जो कि कुल 152 प्रतिशत की वृद्धि है।

इसी तरह 2006 से 2013 तक कुल 1.52 लाख किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया, जो 2014 से 2022 तक बढक़र 3.33 लाख किलोग्राम हो गया, पहले इसकी कीमत 768 करोड़ रुपये थी, जो अब बढक़र 20,000 करोड़ रुपये हो गई है।

शाह ने कहा कि, नशा करने वाला अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित होता है। उन्होंने ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर के तरीकों को अपनाकर दवाओं के स्रोत और गंतव्य दोनों पर हमला करके दवाओं के पूरे नेटवर्क को नष्ट करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

गृह मंत्री ने एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को सख्ती से लागू करने पर भी जोर दिया। उन्होंने त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रयागराज में भीषण हादसा : खंभे से टकराई तेज रफ्तार गाड़ी, विन्ध्याचल जा रहे पांच श्रद्धालुओं की मौत

प्रयागराज (आरएनएस)। सोरांव थाना क्षेत्र के शिवगढ़ से विंध्याचल दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की टवेरा कार बृहस्पतिवार की सुबह बिजली के खंभे से टकरा गई। इस हादसे में टवेरा कार में सवार एक ही परिवार की 4 महिलाओं समेत पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जान गंवाने वालों में एक बालिका भी शामिल है हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई।

बताया जा रहा है कि टवेरा गाड़ी कानपुर से वाराणसी की ओर जा रही थी। घायलों को स्थानीय अस्पताल में एडमिट कराया गया है। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक, गुरुवार सुबह लगभग 6.40 बजे एक टवेरा गाड़ी (यूपी 78 बीक्यू 3601) बिजली के पोल से टकरा गई। गाड़ी में सवार पांच लोगों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों में रेखा पत्नी संजय, रेखा पत्नी रमेश, कृष्णा देवी पत्नी स्वर्गीय श्यामलाल, कविता पत्नी स्वर्गीय दिनेश और कुमारी ओजस उम्र 1 साल है।

मुंबई के एक गोदाम में लगी आग, पास खड़े 14 वाहन खाक

मुंबई (आरएनएस)। दक्षिण मुंबई में बृहस्पतिवार को आधी रात के बाद एक गोदाम में आग लग गई

उन्होंने बताया कि गोदाम में बांस और अन्य सामग्री रखी थी। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

अधिकारी ने बताया कि आग गिरगांव इलाके के अंकुरवाड़ी स्थित गोदाम में लगी, जो उसके भूतल पर रखे रेग्जिन, फोम, बांस और अन्य सामान में फैल गई।

उन्होंने बताया कि गोदाम के कार्यालय के पास खड़े छह चार पहिया वाहन और आठ दो पहिया वाहन आग में जलकर खाक हो गए। आग की चपेट में आने से गोदाम के भूतल का पूरा ढांचा ढह गया। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर दमकल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तडक़े करीब तीन बजे आग पर काबू पाया गया।

अधिकारी ने बताया कि आग लगने का उचित कारण अभी पता नहीं चल पाया है।

केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद

देहरादून (आरएनएस)। उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित विश्वप्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट बृहस्पतिवार को भैया दूज के पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए।

बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सूत्रों ने बताया कि सुबह साढ़े आठ बजे ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग भगवान केदारनाथ के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा-अर्चना के बाद शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए।

सेना की 11 मराठा रेजीमेंट के बैंड की भक्तिमय स्वर लहरियों के बीच कपाट बंद होने के मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, तीर्थ पुरोहित और रूद्रप्रयाग जिला प्रशासन के अलावा तीन हजार से अधिक श्रद्धालु भी मौजूद थे। इस दौरान, श्रद्धालुओं के 'बम बम भोले' और 'जय केदार' के उद्घोष से केदारनाथ धाम गुंजायमान रहा। मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ ने बताया कि तडक़े तीन बजे केदारनाथ मंदिर को खोले जाने के बाद चार बजे से कपाट बंद करने की समाधि पूजन प्रक्रिया शुरू हुई।

पुजारी टी गंगाधर लिंग ने भगवान केदारनाथ के स्वयंभू ज्योर्तिलिंग को शृंगार रूप से समाधि रूप देते हुए उसे बाघंबर, भृंगराज फूल, भस्म, स्थानीय शुष्क फूलों-पत्तों से ढक दिया।

इसके बाद भैरव नाथ के आह्वान के साथ गर्भगृह और मुख्य द्वार को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया और भगवान शंकर की पंचमुखी डोली उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर की तरफ रवाना हो गई। शीतकाल के दौरान भगवान केदारनाथ की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में ही होगी।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थयात्रियों का आभार जताया और कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नयी केदार पुरी अस्तित्व में आ चुकी है, जहां तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।

चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार बंगाल के कारोबारी को तीन दिन की सीबीआई हिरासत

कोलकाता (आरएनएस)। करोड़ों रुपये के संमार्ग सहकारी चिटफंड घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने बीती रात कारोबारी संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले की एक अदालत ने बुधवार को संजय सिंह को केंद्रीय एजेंसी की तीन दिनों की हिरासत में भेज दिया। संजय को तृणमूल कांग्रेस के नेता राजू शाहनी का करीबी बताया जा रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उसी चिट फंड इकाई के साथ कथित संलिप्तता के कारण 2 सितंबर को तृणमूल नेता राजू शाहनी को गिरफ्तार किया था और उनके कब्जे से 80 लाख रुपये बरामद किए गए थे। शाहनी तृणमूल के हलिसहर नगर पालिका, उत्तर 24 परगना जिले के अध्यक्ष हैं।

बुधवार को सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि संजय सिंह संमार्ग कोऑपरेटिव द्वारा चलाए जा रहे एक स्थानीय टेलीविजन चैनल के प्रभारी थे और इस वजह से वह पोंजी इकाई के संस्थापक सौम्यरूप भौमिक के बेहद करीबी थे, जो इस समय फरार है और भौमिक के ठिकाने के बारे में पूछताछ के लिए उसकी हिरासत की जरूरत है।

अदालत ने सीबीआई के वकील की दलीलों को स्वीकार करते हुए संजय सिंह को सीबीआई हिरासत में भेज दिया। पता चला है कि सीबीआई के अधिकारी उसे बुधवार रात को ही एजेंसी के मध्य कोलकाता स्थित निजाम पैलेस कार्यालय में वापस लाएंगे और इस मामले में उससे पूछताछ शुरू करेंगे।

शाहनी को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने बैंकॉक में उनके द्वारा रखे गए एक बैंक खाते का पता लगाया और प्रारंभिक जांच से पता चला है कि चिटफंड इकाई से इस बैंक खाते में बड़ी राशि स्थानांतरित की गई थी।

सीबीआई ने तब अदालत को यह भी बताया कि शाहनी ने बैंकॉक में बैंक खाता संमार्ग कोऑपरेटिव के फरार संस्थापक भौमिक के साथ संयुक्त रूप से रखा था। इसने यह भी दावा किया कि इसकी जांच से कुछ सबूत मिले हैं कि शाहनी ने एक समय में भौमिक को उनके आवास पर सुरक्षित आश्रय प्रदान किया था।

सूत्रों ने कहा कि यह मानने के पर्याप्त कारण थे कि चिट फंड से प्राप्त आय का एक हिस्सा संजय सिंह द्वारा संचालित कई व्यवसायों में भी निवेश किया गया था।

हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा

रामपुर (आरएनएस)। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 2019 के हेट स्पीच मामले में गुरुवार को दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम और डीएम को लेकर भडक़ाऊ भाषण दिया था।

बीती 21 अक्टूबर को इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो सका था। पिछली सुनवाई के दौरान आजम खान एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी पर नहीं पहुंचे थे। आज उनके न्यायालय में पहुंचने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। आजम पर बीते लोकसभा चुनाव के दौरान थाना क्षेत्र मिलक में एक जनसभा में मोदी और तत्कालीन जिलाधिकारी रामपुर के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है।

इस मामले को लेकर एडीओ कृषि रक्षा अनिल कुमार चौहान द्वारा थाना मिलक में मुकदमा लिखाया गया था। यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट एसीजेएम प्रथम निशांत मान की अदालत में चल रहा है। वर्ष 2019 में थाना मिलक में अनिल कुमार चौहान प्रभारी वीडियो मॉनिटरिंग के रूप में तैनात थे। उन्होंने आजम के विरुद्ध आपराधिक कानून की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। आजम खान स्वास्थ्य कारणों के चलते पिछली पेशी पर नहीं पहुंच सके थे।

तेलंगाना : विधायकों की खरीद-फरोख्त की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंची भाजपा

हैदराबाद (आरएनएस)। तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के चार विधायकों को कथित तौर पर खरीद-फरोख्त के कथित प्रयास के मामले में एक और नाटकीय मोड़ लेते हुए भाजपा ने गुरुवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख कर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है। टीआरएस ने आरोप लगाया कि उसके विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रहे तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो भाजपा के थे। इसके बाद भाजपा ने 'निष्पक्ष' जांच के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर मामला केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की है।

भाजपा ने अपनी याचिका में कहा कि पुलिस जिस तरह से जांच कर रही है, उस पर संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता और निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के लिए अंतरिम आदेश देने का अनुरोध भी किया। भाजपा ने मामले में राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक, साइबराबाद पुलिस आयुक्त, अन्य पुलिस अधिकारियों, केंद्र सरकार और सीबीआई को प्रतिवादी बनाया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि टीआरएस विधायकों को खरीदने की कोशिश का झूठा आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। साइबराबाद पुलिस ने बुधवार को हैदराबाद के पास मोइनाबाद में एक फार्महाउस से तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जब वह कथित तौर पर टीआरएस के चार विधायकों को भाजपा में शामिल होने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहे थे।

विधायक पायलट रोहित रेड्डी की शिकायत पर पुलिस ने दिल्ली के रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, हैदराबाद के नंदा कुमार और तिरुपति के सिम्हायाजी स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। टीआरएस नेताओं ने आरोप लगाया है कि दोनों धर्मगुरु और व्यवसायी नंद कुमार केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के शीर्ष नेताओं के करीबी हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी ने उसे 100 करोड़ रुपये, केंद्र सरकार के सिविल अनुबंध कार्यो और अन्य उच्च केंद्र सरकार के पदों को मौद्रिक लाभ के लिए देने की पेशकश की। रोहित रेड्डी ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर वह भाजपा में शामिल नहीं होता है, तो आपराधिक मामले होंगे और ईडी/सीबीआई द्वारा छापेमारी की जाएगी और टीआरएस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार को गिरा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने तीन अन्य विधायकों को 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश की।

रोहित रेड्डी की सूचना पर साइबराबाद पुलिस फार्महाउस पहुंची और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर कॉल डाटा खंगाल रही है। पुलिस तीनों से अज्ञात स्थान पर पूछताछ कर रही है। गिरफ्तारी ने राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है और टीआरएस ने भाजपा पर सरकार को अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगाया है। हालांकि, भाजपा ने आरोपों से इनकार किया है और टीआरएस सरकार को सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से जांच का आदेश देने की चुनौती दी है। केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि सीएम केसीआर ने बीजेपी को बदनाम करने के लिए नाटक किया और मांग की कि पुलिस मामले में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों से जब्त की गई नकदी की राशि का खुलासा करे। इन आरोपों को खारिज करते हुए कि भाजपा ने टीआरएस के चार विधायकों को बड़ी रकम, महत्वपूर्ण पदों और अनुबंधों के साथ लुभाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि भाजपा को चार विधायकों को पार्टी में शामिल करने से कुछ हासिल नहीं होता। उन्होंने कहा, पुलिस यह खुलासा क्यों नहीं कर रही है कि कितना पैसा जब्त किया गया था और यह कहां से आया था।